

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 मार्च 2025—फाल्गुन 15, शक 1946

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2025

क्र. यूडीएच-3-0002-अठारह-5-2024.— मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण), दिनांक 2 फरवरी 2024 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं.

संशोधन

उक्त नियमों में:-

1. नियम 2 में, उप नियम (7) के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
"7(क). "आधार तल क्षेत्र अनुपात " का अर्थ है तल क्षेत्र अनुपात, जो विकास योजना या इन नियमों में निर्धारित, सभी भूखंड स्वामियों को बिना किसी लागत या शुल्क के उपलब्ध है। "
2. नियम 2 के उप नियम (55) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
"55(क). "प्रीमियम तल क्षेत्र अनुपात " का अर्थ है ऐसा अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात जो विकास योजना या इन नियमों में निर्धारित अनुपात के आधार तल क्षेत्र अनुपात से अधिक होगा। "
3. नियम 42 के उप-नियम (1), की सारणी-4, के कॉलम 6 एवं टिप्पणी (1) का लोप किया जाए,
4. नियम 53 के उप-नियम 3 के खण्ड (चार) के उपखण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

(ग) इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग एवं सर्विस सेंटर हेतु विकास मानदंड

(1) इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग एवं सर्विस सेंटर हेतु विकास मानदंड निम्नानुसार होंगे :-

क्रमांक	श्रेणी	स्वीकार्य	आवश्यक भूमि		अन्य शर्तें
			सुविधा का प्रकार	आवश्यक आकार	
1	2	3	4	5	6
1	इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग एवं सर्विस सेंटर	स्वीकार्य: 1. मध्य क्षेत्र 2. उप मध्य क्षेत्र 3. जिला केन्द्र 4. सामुदायिक केन्द्र (केवल भराव केन्द्र) 5. नगरीय क्षेत्रों में आवासीय व औद्योगिक भूमि उपयोग क्षेत्र 6. राष्ट्रीय व राज्य मार्गों के किनारे 7. विकास केन्द्रों के रूप में चिन्हित ग्राम 8. माल परिवहन काम्पलेक्स 9. प्रस्तावित प्रमुख सड़कें 10. पुलिस सुरक्षा बल सेवाएं (केवल स्वयं के उपयोग हेतु)	<ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र (PCS) (न्यूनतम आवश्यकताएं विद्युत मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुरूप) फ्लूइड कूल्ड बैटरी चार्जिंग स्टेशन (FCB CS) 1 संयुक्त चार्जिंग सिस्टम (CCS) 1 CHAdeMO (A DC फास्ट चार्जिंग मानक) बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (वैकल्पिक) 	<p>न्यूनतम 13.5 मी X 5.5 मी</p> <p>न्यूनतम 15 मी X 7 मी</p> <p>बैटरी फिटिंग के लिए चिन्हित क्षेत्र</p>	<ol style="list-style-type: none"> ऐसी सड़क पर स्थापित नहीं किया जाएगा जिसपर राईट ऑफ वे 30 मीटर से कम हो। पुराने नगरीय क्षेत्रों में सांविधिक प्राधिकारियों की स्वीकृति के आधार पर पुराने शहर के इलाकों में विशेष प्रकरणों पर विचार किया जा सकेगा विस्फोटक / अग्निशमन विभाग द्वारा अनुमोदित हों चार्जिंग स्टेशन एवं निकटतम वितरण इकाई (DU) / ईंधन टंकी संबंधी समस्त उपकरणों का विन्यास (PESO) नियमों के अनुसार होगा। सार्वजनिक चार्जिंग (PCS) केन्द्र के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार जलवायु नियंत्रण उपकरण (CCE) एवं लिक्विड कूल्ड केबिल्स (LCC) से सुसज्जित सेवा प्रदाता (SP) द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग (PCS) केन्द्र में ऐच्छिक अनुवृद्धि
2	संपीड़ित प्राकृतिक गैस	1. समस्त उपयोग क्षेत्रों (क्षेत्रीय पार्क विकसित जिला	CNG मंदर स्टेशन (भवन घटक - नियंत्रण कक्ष /	1080 वर्गमीटर	1. 30 मी से कम राईट ऑफ वे वाली सड़कों पर स्थित नहीं होंगे

क्रमांक	श्रेणी	स्वीकार्य	आवश्यक भूमि		अन्य शर्तें
			सुविधा का प्रकार	आवश्यक आकार	
1	2	3	4	5	6
	(CNG) भराव केन्द्र	1. पार्कों को छोड़कर) में अनुमत्य । 2. राष्ट्रीय व अन्य राजमार्गों के किनारे 3. विकास केन्द्रों के रूप में चिन्हित ग्राम 4. माल परिवहन काम्पलेक्स 5. प्रस्तावित मुख्य सड़कें	कार्यालय / वितरण कक्ष / गोदाम, रसोई कक्ष एवं शौचालय सहित	(36 मी X 30 मी)	2. विस्फोटक / अग्निशमन विभाग द्वारा अनुमोदित हों

(2) स्टैंड अलोन सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र (PCS) हेतु विकास मानदंड निम्नानुसार होंगे

क्रमांक	श्रेणी	जनसंख्या प्रति इकाई	भूमि की आवश्यकता		अन्य शर्तें
			सुविधा का प्रकार	आवश्यक क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6
क	सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र	राजमार्गों / सड़कों के किनारे दोनों ओर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर	सार्वजनिक चार्जिंग केन्द्र (PCS) जिसका चार्जर अनुपात विद्युत मंत्रालय की PCS हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार <ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक 10 EVs के लिए एक फास्ट चार्जर (FC) प्रत्येक 3 EVs के लिए एक स्लो चार्जर (SC) 	रेस्टोरेंट / जलपान गृह में कुल पार्किंग क्षमता के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्रफल	फास्ट चार्जिंग के लिए आवश्यक जलवायु नियंत्रण उपकरण (CCE) एवं लिक्विड कूल्ड केबिल्स (LCC) से सुसज्जित
ख	फास्ट चार्जिंग सुविधा / फ्लूएड कूल्ड	राजमार्गों / सड़कों के किनारे दोनों ओर हर 100	न्यूनतम दो चार्जर <ul style="list-style-type: none"> एक CCC प्रकार का 	न्यूनतम 15 मी X 7मी	ऊपर 'क' में उल्लिखित CCE व LCC सहित PCS के

क्रमांक	श्रेणी	जनसंख्या प्रति इकाई	भूमि की आवश्यकता		अन्य शर्तें
			सुविधा का प्रकार	आवश्यक क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6
	बैटरी चार्जिंग स्टेशन (FCB CS) (लंबी दूरी के एवं भारी EV के लिए)	किलोमीटर पर	<ul style="list-style-type: none"> एक CHAdeMo प्रकार का (प्रत्येक न्यूनतम 100 किलोवाट का) 		साथ युग्मित किया जा सकेगा
ग	बैटरी अदला-बदली केन्द्र	विद्युत मंत्रालय के मार्ग निर्देशों के अनुरूप ऐच्छिक सुविधा	स्टैंडअलोन FCB चार्जिंग स्टेशन के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा।	न्यूनतम 5.5 मी X 2.75 मी	ऊपर 'क' में उल्लिखित PCS अथवा ऊपर 'ख' में उल्लिखित FCB CS के साथ युग्मित किया जा सकेगा

टिप्पणी:

- (1) औद्योगिक उपयोग हेतु सुपर केरोसीन आईल / हलके डीजल का भंडारण पृथक से होगा।
- (2) सेवा प्रदाता द्वारा कनेक्शन एवं मीटरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जो सभी उपयोगकर्ताओं हेतु 24 X 7 उपलब्ध रहेगी।
- (3) FCB CS व BS की उपलब्धता आवश्यक नहीं होगी व यह सेवा प्रदाता की इच्छा पर निर्भर करेगी।
- (4) FCB CS का अनुशासित आकार SP के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
- (5) ईंधन भराव केन्द्र (COCO आउटलेट्स सहित) के विनिर्देश व सुरक्षा मानक पेट्रोलियम नियमों या PESO अधिनियम में संशोधनों के अनुरूप होंगे और सेवा प्रदाता को खुदरा आउटलेट्स / ईंधन भराव स्टेशन के साथ PCS की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 'सक्षम प्राधिकारी' से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होंगी।

स्टैंडअलोन PCS हेतु:

- (6) चार्जिंग पाईट (FC/SC) व कुल पार्किंग क्षमता के अनुपात का निर्धारण करने के लिए कुल पार्किंग क्षमता के केवल 20 प्रतिशत पर विचार किया जाएगा (अर्थात कुल पार्किंग क्षमता के केवल 20 प्रतिशत को EVs माना जाएगा और इसी के आधार पर अनुपात का निर्धारण होगा)।
- (7) अच्छा होगा स्टैंड अलोन PCS की भूमि /स्थान मिडवे रेस्टोरेंट की व्यावसायिक भूमि से संलग्न/समीपस्थ हो।
- (8) स्टैंड अलोन PCS के स्थल चयन संबंधी सामान्य शर्तें आईआरसी-12 (नवीनतम संशोधन) के खंड 4.1-4.4 के अनुरूप होंगी। सिवाए दो केन्द्रों के बीच दूरी के जोकि विद्युत मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2018 में जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार होंगी।

संक्षेप:

BS	Battery Swap
CCE	Climate Control Equipment
CCS	Combined Charging System
CHAdeMo	A DC fast charging standard
CNG	Compressed Natural Gas
COCO	Company Owned Company Operated
EV	Electric Vehicle
FC	Fast Charger/ Fast Charging (DC and a few AC ones)
FCB CS	Fluid Cooled battery Charging Station
LCC	Liquid Cooled Cables
MoP	Ministry of Power
PCS	Public Charging Stations
PESO	Petroleum & Explosives Safety Organization
SC	Slow Charger / Slow Charging (AC)
SP	Service Provider

5. नियम 61 की सारणी 8, की टिप्पण के अनुक्रमांक 6 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(7) उपर्युक्त सारणी में उल्लेखित करें तल क्षेत्र अनुपात के अलावा, प्रीमियम तल क्षेत्र अनुपात के रूप में अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात प्रदान किया जा सकता है जो आधार तल क्षेत्र अनुपात के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसे प्रीमियम तल क्षेत्र अनुपात की दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।”

6. नियम 93 के पश्चात् निम्नालिखित नियम अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“93(क) द्वि जल पाइपिंग प्रणाली— इमारतों/परियोजनाओं में जहां सीवेज/अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की आवश्यकता होती है में द्विय जल पाइपिंग प्रणाली एक पेयजल हेतु एवं दूसरी उपचारित जल/वर्षा जल के माध्यम से गैर पेय जल योग्य उद्देश्यों के लिए होगी।

93(ख) डिजीटल संचार अधोसंरचना हेतु भवन में प्रावधान

डिजीटल संचार अधोसंरचना के लिए इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन के प्रावधान आदर्श भवन उपविधियाँ, 2016, के परिशिष्ट-III में दिये अनुसार लागू किये जा सकेंगे।”

7. नियम 99 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“99. किफायती आवास सहित अल्प आय वाले आवास समूह की विशेष अपेक्षाएँ – इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किफायती आवास सहित आर्थिक

रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय समूह आवास के लिए योजना की विशेष अपेक्षाएं परिशिष्ट - "ज" में दिये अनुसार होगी।"

8. नियम 99 के परिशिष्ट- ज के शीर्षक "अल्प आय निर्माण (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय समूह) के लिए विशेष योजना सन्निधम" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक अंतःस्थापित किया जाए,
"किफायती आवास सहित अल्प आय निर्माण (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय समूह) के लिए विशेष योजना सन्निधम"

9. नियम 99 के परिशिष्ट-ज के खण्ड ज-2 की सारणी की टिप्पणी के क्रमांक 4 के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

(4) भवन के आवास इकाई का अधिकतम निर्मित क्षेत्र 66 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा।

10. नियम 99 के परिशिष्ट-ज के खण्ड ज-2 के उप खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(4) भवन की ऊँचाई:- भवन की ऊँचाई सामान्यतः 12.5 मीटर से अधिक नहीं होगी। भवन की ऊँचाई 12.5 मीटर से अधिक रखने की दशा में लिफ्ट उपलब्ध करायी जाएगी। प्रति हेक्टेयर आवासीय इकाईयों के निबंधनों में घनत्व निर्धारण किए गए अनुसार होगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2025

क्र. यूडीएच-03-0002-2024-अठारह-5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक यूडीएच-03-0002-2024-अठारह-5, दिनांक 6 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुप्रिया पेंडके, अवर सचिव.

Bhopal, the 6th March 2025

No.F. UDH-3/0002/18-5/2024 :: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read sub-section(3) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973 the State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Ordinary) dated 2nd February 2024 as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act.

Amendment

In the said Rules,-

1 In rule 2, after sub-rule (7), the following rule shall be inserted, namely:-

“ “Base Floor Area Ratio” means Floor Area Ratio, prescribed in the 7(a). Development plan or in these rules which is available to all plots owners without cost or charge.”

2 In rule 2, after sub-rule (55), the following rule shall be inserted, namely:-

“ 55(a). “Premium Floor Area Ratio” means such additional Floor Area Ratio that shall be over and above the Base Floor Area Ratio as prescribed in the Development plan or in these rules.”

3 In rule 42, Column No. 6 and Note (1) of table-4 of sub-rule (1) shall be Omitted.

4 In rule 53, after sub-clause (b) of clause (iv) of sub-rule-3, the Following sub-clause shall be inserted namely:

(C) The development norms for Electric Vehicle (EV) Charging and service centre :

(1): Development norms for Electric Vehicle (EV) Charging and service centre shall be as per table below

S.No	Category	Permitted in	Land Requirement		Other Control
			Type of facility	Area requirement	
1	2	3	4	5	6
1	Electric Vehicle (EV)	Permitted in: 1. Central District	• Public Charging Station (PCS)	Min 13.5m X 5.5 m	1. Shall not be located on road having

S.No	Category	Permitted in	Land Requirement		Other Control
			Type of facility	Area requirement	
1	2	3	4	5	6
	Charging and service centre	2. Sub central district 3. District Centres 4. Community Centres (Only Filling Station) 5. Residential & industrial use Zone In urban Areas. 6. Along National & State Highways 7. Villages identified as growth centres. 8. Freight Complex 9. Proposed major roads. 10. Police/Security forces services (for captive use only)	(Minimum requirement as per MoP Guidelines) <ul style="list-style-type: none"> • Fluid Cooled battery Charging Station (FCB CS) • 1 Combined Charging System (CCS) • 1 CHAdeMO (A DC fast charging standard) 	Min 15m X 7 m	Right of way less than 30 m. 2. Special cases in old city areas may. be considered based on the approval by statutory authorities. 3. Shall be approved by the explosives/fire department. 4. Charging Station and all equipment layout with respect to nearest dispensing unit (DU)/fuel tank to be as per PESO rules. 5. Equipped with Climate Control Equipment (CCE) and Liquid Cooled Cables (LCC) as required in
			<ul style="list-style-type: none"> • Battery swapping station (optional) 	Earmarking area for "Battery fitting"	

S.No	Category	Permitted in	Land Requirement		Other Control
			Type of facility	Area requirement	
1	2	3	4	5	6
					addition to requirements of Public Charging Station (PCs). 6. Optional addition to PCs by the Service Provider (SP).
2	Compressed Natural Gas (CNG) filling centre	1. Permitted in All use zones (except in Regional Parks Developed District Parks) 2. Along National and Highways 3. Villages identified as growth centres 4. Freight Complex 5. Proposed major roads	CNG mother station (Including building component - control room/office/dispensing and room/store, pantry and WC.)	1080 sqm (36m x 30m)	1. Shall not be located on road having Right of Way less than 30m. 2. Shall be approved by the explosive/ fire department

(2): Development norms for Standalone Public Charging Stations (PCS) shall be as per table below

Sr.No	Category	Population served per unit	Land Requirement		Other Control
			Type of facility	Area requirement	
1	2	3	4	5	6
A	Public Charging Stations	Every 25 Kms, both sides along the highways /roads	Public Charging Station (PCS) with charger ratio (minimum requirements of PCS, as per MoP) - <ul style="list-style-type: none"> • 1Fast Charger (FC) for every 10 EVs • 1Slow Charger (SC) for every 3 EVs 	Additional area as per total parking capacity at the Restaurants / Eateries.	Equipped with Climate Control Equipment (CCE) and Liquid Cooled Cables (LCC), as may be required fast charging
B	Fast Charging facility / Fluid Cooled battery Charging Station (FCB CS) (for Long, Distance & Heavy Duty EVs)	Every 100 Kms, both sides along the highways/ roads	At least 2 chargers <ul style="list-style-type: none"> • 1 CCC type • 1 CHAdeMO type (min 100KW each) 	Min.15m x 7m	May be coupled with PCS at item A above with CCE and LCC.
C	Battery Swapping Station	Optional provisions as per MoP Guidelines.	Standalone Provided along with FBC charging Stations	Min 5.5m x 2.75m	May be coupled with PCS at item A or FCB CS at item B above.

Notes:

- (1) Super Kerosene Oil/Light Diesel Oil storage for industrial uses shall be given separately.
- (2) To be organized by a service provider for connection and metering, available 24x7 for all users.
- (3) Provision of FCB CS & BS shall not be mandatory, and will be at the discretion of the service provider.
- (4) Size recommended for FCB CS is subject to variance as per technical specifications of the SP.
- (5) Fuel filling stations (including COCO outlets) shall conform to specifications and safety norms as per the amendment in Petroleum Rules or, PESO Act and obtain clearances as maybe necessary from the 'Competent Authority', for adding PCS to Retail outlets/ Fuel filling stations.

For Standalone PCS:

- (6) The ratio of provision of charging points (FC/SC) with respect to total parking capacity will be considered for only 20% (i.e. 20% of total parking capacity will be considered EVs & ratio will be applied on them)
- (7) Land a/location is preferably to be contiguous/in close proximity to commercial land of the Mid-way Restaurant.
- (8) "General Conditions of Siting" of Standalone PCS shall follow clause 4.1-4.4 of IRC: 12 (latest revision) except for the distance between stations which shall be as per the Guidelines issued by MoP, dated Dec, 2018.

Abbreviations:

BS	Battery Swap
CCE	Climate Control Equipment
CCS	Combined Charging System
CHAdcMo	A DC fast charging standard
CNG	Compressed Natural Gas
COCO	Company Owned Company Operated
EV	Electric Vehicle
FC	Fast Charger/ Fast Charging (DC and a few AC ones)
FCB CS	Fluid Cooled battery Charging Station
LCC	Liquid Cooled Cables
MoP	Ministry of Power
PCS	Public Charging Stations
PESO	Petroleum & Explosives Safety Organization
SC	Slow Charger / Slow Charging (AC)
SP	Service Provider

5 In rule 61, after No. (6) of Note of Table 8, the following note shall be inserted, namely:-

" (7) In addition to the FAR as mentioned in above said table, additional FAR as Premium Floor Area Ratio may be provided over and above which shall not exceed 25% of the Base FAR. The rate of such Premium FAR shall be as may be decided by the State Government."

6 After rule 93, the following rule shall be inserted, namely:-

"93(a) **Dual water piping system** – In Buildings/Projects requiring sewage/waste water treatment plant the plumbing arrangement shall be with dual water piping system, one for drinking water and another for non-potable purposes through treated water / rain water."

93(b) **Provisions for in-building solutions for Digital Communication Infrastructure**

Provisions of in-building solutions for Digital Communication Infrastructure may provided for this Addendum to Model Building Byelaws, 2016, Annexure III dated March 2022 may be referred."

7 For Rule 99, the following rule shall be substituted, namely:-

"99. **Special requirements of Affordable Housing including Low-Income Housing Group:-** Notwithstanding anything contained in these rules, special requirements for affordable housing including low Income housing such as Economically Weaker Section and Lower Income Group Housing, schemes shall be as given in Appendix – J."

8 In Rule 99, In Appendix-J, the Title "SPECIAL PLANNING NORMS FOR LOW INCOME HOUSING (ECONOMICALLY WEAKER SECTION AND LOWER INCOME GROUP)" is substituted namely:-

"SPECIAL PLANNING NORMS FOR AFFORDABLE HOUSING INCLUDING LOW INCOME HOUSING (ECONOMICALLY WEAKER SECTION AND LOWER INCOME GROUP)"

9 In Appendix-J, Note-4 of table of clause J-2 (2), shall be substituted as follows:

"4. The maximum built-up area of Dwelling Unit in the building shall not exceed 66 sq.mts."

10 In Rule 99, sub-clause (4) of clause J-2 of Appendix-J, shall be substituted as follows:

"(4). **Height of the building:-** The height of the building shall generally not exceed 12.5 mtrs. In case, the height has to be increased beyond 12.5 mtrs, lifts shall be provided. The density in terms of dwellings units per _____ hectare shall be accordingly determined."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R.K. KARTIKEY, Dy. Secy.